

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06-06-18

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
जमानत आवेदन क्रमांक : 196/2018

राजू सिंह पुत्र सीताराम सिंह भदौरिया आयु
24 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ी हरीक्षा, थाना -
गोरमी जिला भिण्ड (म.प्र.) — आवेदक
बनाम

पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड
(म0प्र0) — अनावेदक

06.06.18

अभियुक्त/आवेदक राजू सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री भगवान सिंह बघेल।
श्रीमती शिवानी शर्मा, जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय का
प्रकरण क्रमांक-581/2012 ई.फौ. प्राप्त।

प्रकरण अभियुक्त/आवेदक के जमानत आवेदन पत्र पर तर्क
हेतु नियत है।

अतः धारा-439 द.प्र.सं. के नियमित आवेदन पत्र पर उभयपक्ष
अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

अभियुक्त/आवेदक का कहना है कि वह पीलिया रोग से
बीमार होने के कारण नियत पेशी दिनांक 20.06.16 को उपस्थित नहीं
हो सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे पाया था। उसकी
अनुपस्थिति की दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत
जब्त कर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया। उसे दिनांक
10/05/18 को गिरफ्तार कर न्यायिक निरीक्ष में भेज दिया है। वह
परिवार का मुखिया होकर कृषि पेशा व्यक्ति है, अधिक समय तक जेल
में बंद रहा तो उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी।
माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। उक्त
आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियुक्त/आवेदक
द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला अधिक पुराना है,
उसके अनुपस्थित होने से निराकरण नहीं हो सका था। अतः उसका
जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे विदित
होता है कि थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 116/2012
धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।
प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त/आवेदक

दिनांक-11/05/18 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त/आवेदक के दिनांक 20/06/16 को अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये थे। अभियुक्त/आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में विचारण प्रभावित हुआ है और विलंबित भी हुआ है। प्रकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. स्वीकार कर साक्षी महेश शर्मा की साक्ष्य हेतु नियत है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना गुण-दोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर उचित प्रतीत होता है, बाद विचार अभियुक्त/आवेदक राजूसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र **स्वीकार** किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय धारा-446 जा.फौ. के अंतर्गत अभियुक्त/आवेदक के पूर्व मुचलके में से 500/- राशि राजसात करें, तत्पश्चात अभियुक्त/आवेदक की ओर से 20,000/- रुपये की नवीन जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका पेश किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति के साथ मूल आपराधिक प्रकरण संबंधित जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में वापिस किया जावे।

इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

सही/-

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड,

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)